अनुदान संख्या 62 – श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 62 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	11151,65,00	11151,70,00	10054,40,71	-1097,29,29
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1018,45,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	32,44,00	37,54,00	30,62,24	-6,91,76
पूरक	Supplementary	5,10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				18,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	997947.00	1001614.29	994708.41	-6905.88
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	3665.29			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	108030.00			
पू.	S.	2.00	134.71	..	134.71
पु.	R.	-107897.29			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को	Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	State Governments				
मू.	O.	877.00	2571.00	2570.00	-1.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1693.00			

(I) ₹108040.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹107382.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹108040.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) remained wholly unutilised under sixteen heads; of these ₹107382.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "बाल श्रम/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार – स्वैच्छिक एजेंसी को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना और बंधुआ मजदूर को प्रतिपूर्ति सहायता" – ₹920.00 लाख।

(A) "Labour - Improvement in Working Condition of Child/Women Labour - National Child Labour Project including grants in aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - ₹920.00 lakhs;

(खा) "श्रम – शिक्षा – केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान" – ₹780.00 लाख;

(B) "Labour - Education - Grant to Central Board for Worker's Education" - ₹780.00 lakhs;

(गा) "रोजगार सेवाएं – अनुसंधान सर्वेक्षण और सांख्यिकी – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹45593.00 लाख;

(C) "Employment Services - Research Survey and Statistics - Employment Promotion Scheme" - ₹45593.00 lakhs;

(घा) "श्रम – श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(D) "Labour - Social Security for Labour" -

(क) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹45002.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "असम में वृक्षारोपण कामगारों के लिए परिवार पेंशन–सह–जीवन एश्योरेंस स्कीम" – ₹1018.00 लाख; और

(ग) "असम में चाय बागान कामगारों के लिए डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम" – ₹519.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) "सामाजिक सुरक्षा स्कीम" – ₹12709.00 लाख – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन स्कीम में एलआईसी द्वारा कम मांगों के कारण।

(ङ) "श्रम – सामान्य श्रम कल्याण – श्रम कल्याण स्कीम" – ₹841.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2230" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "श्रम" –

(क) "सामान्य श्रम कल्याण – श्रम कल्याण स्कीम" – ₹1510.51 लाख की बचत (₹18390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, एलटीसी बिलों की प्राप्ति न होने, चिकित्सा आपूर्ति डिपो से दवा की आपूर्ति न होने और कम

(a) "Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹45002.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs);

(b) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹1018.00 lakhs; and

(c) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - ₹519.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained utilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(d) "Social Security Schemes" - ₹12709.00 lakhs - due to less demand by LIC towards Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan and Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan schemes.

(E) "Labour - General Labour Welfare - Labour Welfare Schemes" - ₹841.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2230" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Labour" -

(a) "General Labour Welfare - Labour welfare Scheme" - saving of ₹1510.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18390.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of LTC bills,

प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा – सामाजिक सुरक्षा स्कीम" – ₹29654.39 लाख की बचत (₹82088.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "सामाजिक सुरक्षा स्कीम" – ₹9141.00 लाख की बचत (₹21095.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन स्कीमों के लिए एलआईसी द्वारा कम मांग के कारण हुई।

(ii) "श्रम कल्याण स्कीम" – ₹831.93 लाख की बचत (₹2859.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति, वृत्तिका और सहायिकी के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(घ) "बाल/महिला श्रमिक के कार्य स्थिति में सुधार – राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ कामगार को प्रतिपूर्ति सहायता सहित" – ₹1130.17 लाख की बचत (₹6560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और कम संख्या में विज्ञापनों के होने के कारण हुई।

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र योजना" –

(i) "सामाजिक सुरक्षा स्कीम" – ₹5495.00 लाख की बचत (₹10929.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और प्रधानमंत्री कर्मयोगी

non-supply of medicine from Medical Supply Depot and receipt of less proposals.

(b) "Social Security for Labour - Social Security Schemes" - saving of ₹29654.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹82088.00 lakhs); and

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Social Security Schemes" - saving of ₹9141.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21095.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand by LIC towards Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan & Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan schemes.

(ii) "Labour Welfare Schemes" - saving of ₹831.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2859.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for scholarship, stipends and subsidies.

(d) "Improvement in working conditions of child/woman labour - National Child Labour Project (including grants in aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹1130.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6560.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and less number of advertisements.

(e) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Social Security Schemes" - saving of ₹5495.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10929.00 lakhs) was due to less demand by LIC towards

मानधन स्कीमों के लिए एलआईसी द्वारा कम मांग के कारण हुई।

(ii) "श्रम कल्याण स्कीम" – ₹570.30 लाख की बचत (₹1410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, आउटसोर्सिंग स्टॉफ के कम अनुबंध होने, खरीद को मूर्त रूप न दिए जाने और छात्रवृत्ति के लिए कम आवेदन की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "रोजगार सेवाएं" –

(क) "रोजगार सेवाएं – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹44895.55 लाख की बचत (₹294192.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹13037.03 लाख की बचत (₹75530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रोजगार संवर्धन स्कीम" – ₹6921.74 लाख की बचत (₹39130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से पर्याप्त आवेदनों की प्राप्ति न होने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹332.24 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹110902.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan & Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan schemes.

(ii) "Labour Welfare Schemes" - saving of ₹570.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1410.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, less engagement of outsourced staff, non-materialisation of purchase proposals and receipt of less applications for scholarship.

(B) "Employment Service" -

(a) "Employment Services - Employment Promotion Scheme" - saving of ₹44895.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹294192.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Employment Promotion Scheme" - saving of ₹13037.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75530.00 lakhs; and

(c) "Tribal Area Sub-Plan -Employment Promotion Scheme" - saving of ₹6921.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39130.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of adequate applications from beneficiaries under Pradhan Mantri Rojgar Protshan Yojana (PMRPY).

(III) Under one head saving of ₹332.24 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹110902.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसा कि नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष “2230” – “श्रम”

(क) “श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा – कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995” – ₹91382.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹91380.00 लाख था।

(ख) “शिक्षा – कामगारों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय बोर्ड को अनुदान” – ₹3271.00 लाख।

(ग) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – आईएलओ को भारत का अंशदान” – ₹400.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹343.29 लाख था।

(घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(i) “कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995” – ₹8690.00 लाख।

(ii) “शिक्षा” – ₹632.00 लाख।

(ङ) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना” –

(i) “कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995” – ₹4595.00 लाख।

(ii) “शिक्षा” – ₹377.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम” –

(क) “केन्द्रीय सहायता/शेयर–रोजगार सृजन कार्यक्रम” – ₹1289.00 लाख का अधिक व्यय, तथापि ₹1288.00 लाख था।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following heads:-

(A) Major Head “2230” - “Labour” -

(a) “Social Security for Labour - Employees’ Pension Scheme, 1995” - ₹91382.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹91380.00 lakhs.

(b) “Education - Grants to Central Board for Workers Education” - ₹3271.00 lakhs.

(c) “International Cooperation - India's contribution to the ILO” - ₹400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹343.29 lakhs.

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “Employees’ Pension Scheme, 1995” - ₹8690.00 lakhs.

(ii) “Education” - ₹632.00 lakhs.

(e) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “Employees’ Pension Scheme, 1995” - ₹4595.00 lakhs.

(ii) “Education” - ₹377.00 lakhs

(B) “Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Central Assistance/Share - Employment Generation Programmes” - excess of ₹1289.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1288.00 lakhs.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रोजगार सृजन कार्यक्रम” – ₹266.00 लाख।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Employment Generation Programmes” - ₹266.00 lakhs

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2230” – “श्रम – श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head “2230” - “Labour - Social Security for Labour” - under the following heads:-

(का) “परिवार पेंशन–सह–असम में वृक्षारोपण कामगारों के लिए लाइफ एश्योरेंस स्कीम” – ₹1018.00 लाख का अधिक व्यय (₹5.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) “Family Pension-cum-life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam” - excess of ₹1018.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs); and

(खा) “असम में चाय बागान कामगारों के लिए डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम” – ₹519.00 लाख का अधिक व्यय (₹5.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(B) “Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam” - excess of ₹519.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Excess under the above two heads were due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹691.76 लाख) नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹510.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹691.76 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹510.00 lakhs obtained in November, 2019 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “4250” अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4250” Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	3234.00			
पू.	S.	510.00	3726.00	3056.84	-669.16
पु.	R.	-18.00			

(I) "श्रम – डीजीएफएएसएलआई स्कीम" के अंतर्गत ₹527.11 लाख की बचत (₹956.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्तावों/निविदा की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

4. बीड़ी कामगार कल्याण निधिः–

यह निधि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्त पोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया था।

वर्ष 2019–2020 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार थाः–

(I) Under "Labour - DGFASLI Schemes" - saving of ₹527.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹956.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals/tender.

4. Beedi Workers Welfare Fund:-

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	:	-210,70,63
प्राप्तियां	Receipts	:	शून्य NIL
अदायगियां	Payments	:	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	:	-210,70,63